न्यायालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर–ग्रामीण (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री अशोक कुमार , आर ए एस
प्रार्थना पत्र संख्या :– 11/2023

उनवान

1. जटाशंकर पुत्र भगवान सहाय
2. श्योनारायण पुत्र झूंथा
3. कानाराम पुत्र किशना
4. बद्री पुत्र भूरा

समस्त जाति अहीर निवासी ढाणी सुखदेई, तन बिलान्दरपुर, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज0

प्रार्थीगण

बनाम

1 बाबूलाल पुत्र राधेश्याम
2. अनिता पत्नी बाबूलाल
3. कमला देवी पुत्री गोविन्दराम
4. प्रभूदयाल पुत्र गोविन्दराम
5. मोहन लाल पुत्र गोविन्दराम
6. रतन लाल पुत्र गोविन्दराम
7. सीता देवी पुत्री गोविन्दराम
8. सायर देवी पुत्री गोविन्दराम
9. मूलचन्द पुत्र देवीसहाय
10. सत्यनारायण पुत्र देवीसहाय

समस्त जाति ब्राह्मण निवासी बिलान्दरपुर, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज0

11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज0

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा –251 क की उप धारा (1) संशोधन अधिनियम 2010

आदेश दिनांक – 19/10/23

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा –251 क की उप धारा (1) के तहत पेश किया गया कि खातेदारान अप्रार्थीगण संख्या 1 लगा0 19 के ख0 न0 1154/0.1500, 1155/0.2000 है0 वाकै ग्राम बिलान्दरपुर तह0 शाहपुरा जिला जयपुर की जोत में नया मार्ग खोलने का आशय रखते है।

आराजी ख0 न0 1155/0.2000 है0 उत्तर से दक्षिण में व 1154/0.1500 है0 में दिशा उत्तर से दक्षिण से रास्ता के रूप में लेने के लिये व वर्तमान में रास्ता के रूप में काम में लेते आ रहे है जिसमें आगे ख0 न0 938 है जो डामर की सडक अवस्थित है तथा रास्ता व आवागमन में अप्रार्थीगण की जोत ख0 न0 1154 व 1155 के अलावा अन्य रास्ता नही है।

आराजी ख0 न0 1154/0.1500, 1155/0.2000 है0 के दक्षिण दिशा में प्रार्थीगण की जोत के ख0 न0 1167 लगते हुये है एवं प्रार्थीगण के ख0 न0 1167 से लगते हुये ख0 न0 1172, 1173 व 1170 है। यह ख0 न0 अप्रार्थीगण की खातेदारी में अवस्थित है जो प्रार्थीगण की कृषि जोत से लगते हुये है उक्त ख0 न0 1167 के लगते है तथा प्रार्थीगण को अपनी जोत में जाने के लिए ख0 नं0 1154, 1155 के अलावा कोई अन्य रास्ता नही है। इसलिए ख0 न0 1155 के उत्तर से दक्षिण की तरफ जाकर आगे की तरफ ख0 न0 1154 मे से उत्तर से दक्षिण दिशा में एवं ख0 न0 1156 व 1166 के पश्चिम की तरफ से सटाकर प्रार्थीगण के ख0 न0 1167 तक 12 फुट चौडाई व लगभग 130

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

मीटर लंबाई का प्रार्थीगण की जोत ख0 न0 1167, 1170, 1172, 1173 तक जाने हेतु नये मार्ग की अति आश्यकता है तथा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है तथा प्रार्थीगण ने आवेदन प्रार्थना पत्र के साथ नक्शा प्रस्तावित रास्ता लाल रंग से चिन्हित किया जाकर संलग्न किया है तथा उक्त नक्शा प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग व भाग है तथा प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को वर्तमान सरकारी दर से असहमत होने प्रार्थीगण/अप्रार्थीगण को तय शुदा डी0एल0सी0 राशि अदा कर देगे।

अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आवेदन के साथ संलग्न नक्शा नक्शा में लाल रंग से चिन्हित प्रस्तावित नया मार्ग खोलने व राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने की आज्ञा प्रदान करे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज कर अप्रार्थीगण की जरिये सम्मन तलबी की गई। प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र यादव उपस्थित। दिनांक 28.08.2023 अप्रार्थीगण सं0 01, 02 08 लगायत 11, 13 लगायत 15, 18, 20 बाद तामील व सूचना के अनुपस्थित। इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। दिनांक 20.09.2023 को वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया की अप्रार्थीगण सं0 03 लगायत 11 का नाम हजब कर लाल स्याही से अंकन किया गया। दिनांक 12.10.2023 को अप्रार्थीगण संख्या 12, 16, 17 बाद तामील व सूचना के अनुपस्थित। इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा के पत्रांक रीडर/2023/1064 दिनांक 21.08.2023 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त कि गयी । वकील प्रार्थी को सुना गया। बहस पर मनन किया गया। तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार शाहपुरा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में जाहिर किया कि ग्राम बिलान्दरपुर के आराजी ख0 न0 938 किस्म गै0मु0 रास्ता जो कि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है एवं मौके पर ख0 न0 938 में डामर की सडक बनी हुई है। ख0 नं0 1155 व 1154 से होकर रास्ता ख0 न0 1167 में सबसे कम दूरी वाला रास्ता है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में पहुच मार्ग हेतु अन्य कोई रास्ता नहीं है। अप्रार्थीगण के आराजी ख0 न0 1155 व 1154 उत्तर से दक्षिण की ओर रास्ता प्रस्तावित किया है। तथा तहसीलदार शाहपुरा द्वारा प्रस्तावित रास्ता दिया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति 1955 की धारा – 251 क की उप धारा (1) संशोधन अधिनियम 2010 न्यायिक दृष्टि से स्वीकार किया जाकर आ0ख0नं0 1155 रकबा 0.20 है0 में से 65 मीटर लम्बाई व 04 मीटर चौडाई रकबा 0.0260 है0, व ख0न0 1154 रकबा 0.15 है0 में से 37 मीटर लम्बाई व 04 मीटर चौडाई रकबा 0.0148 है0 कुल रकबा 0.0408 है0 अर्थात 408 वर्गमीटर भूमि तहसीलदार शाहपुरा द्वारा रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि की वर्तमान में प्रचलित डीएलसी दर से 2 गुना भूमि की कीमत आंकलन कर राशि प्रार्थीगण से वसूल कर नियमानुसार खातेदारान/अप्रार्थीगण को भुगतान किया जाकर राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस में सिवायचक गै0 मु0 रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। अप्रार्थीगण सं0 01, 02 व 09 द्वारा बकाया भूमि पर रहन यथावत रहेगा तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त मौका रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा।

निर्णय आज दिनांक ...19/10/23..... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी
* शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान *

(अशोक कुमार)
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर